# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 19/2024 दायर दिनांक: 06.09.2024
GCMS NO:- 2024/214 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. गिरीराज आ0 सुवा जाति मीणा नि0 तुलसीपुरा (भजनेरी) तहसील नैनवॉ।
2. प्रकाश आ0 सुवा जाति मीणा नि0 तुलसीपुरा (भजनेरी) तहसील नैनवॉ।
3. मायाराम आ0 सुवा जाति मीणा नि0 तुलसीपुरा (भजनेरी) तहसील नैनवॉ।
4. हंसराज आ0 सुवा जाति मीणा नि0 तुलसीपुरा (भजनेरी) तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण–

**बनाम**

1. मांगीलाल आ0 मड्या जाति बंजारा नि0 चीता की झोपडिया तहसील नैनवॉ।
2. चतरा आ0 मन्ना जाति बंजारा नि0 चीता की झोपडिया तहसील नैनवॉ।
3. भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण–

**प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट**

**उपस्थिति–**

**प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल शर्मा।**

**अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर।**

**निर्णय दिनांक 27.08.2025**

## :–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बालापुरा प0म0 मैणा की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 89 व पुराना 129 के खसरा नम्बर 604/136 रकबा 1.6180 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर कृषि काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम तुलसीपुरा से बीड का डेरा मे जाने वाले रास्ते से फटकर खसरा नम्बर 139 जो कि सिवायचक भूमि है, मे होकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 604/136 मे पहुंचता है। उक्त रास्ता करीबन 20 फीट चौडा है। प्रार्थीगण वर्षो से उक्त रास्ते मे होकर अपने कृषि उपकरणों को लेकर आवागमन करते है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त भूमि पर जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नही है। उक्त रास्ते की राजस्व रिकॉर्ड मे तरमीम नही होने से प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के मन मे बदयान्ति आ गयी और प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित अथवा परिशिष्ट अ मे प्रदर्शित रास्ते को जेसीबी से जबरन अवरूद्व कर दिया तथा प्रार्थीगण से कहने लगे कि अब तुम्हे किसी कीमत पर इस रास्ते पर होकर आवागमन नही करने देंगे, तुम लोग इस रास्ते से होकर निकलने की कोशिश भी मत करना अन्यथा हम तुम्हे जान से ही खत्म कर देंगे। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

यह कि प्रार्थीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह परिशिष्ट अ मे प्रदर्शित रास्ते को 20 फीट चौडा रास्ता घोषित करवा कर उक्त रास्ते का राजस्व नक्शे मे अंकन करवाये जिसके लिए प्रार्थीगण प्रतिकर राशि भी अदा करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर द्वारा वकालातनामा पेश किया गया लेकिन जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से जवाब पेश करने का अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/26 दिनांक 25.06.2025 से प्राप्त हो चुकी है।

बहस एकपक्षीय प्रार्थना पत्र सूनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बालापुरा प.म. मैणा मे स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 604/136 पर जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम तुलसीपुरा से बीड का डेरा मे जाने वाले रास्ते से फटकर

खसरा नम्बर 139 जो कि सिवायचक भूमि है, मे होकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 604/136 मे पहुंचता है, जिसे परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है, के अनुसार रास्ता दिया जावे। साथ ही निवेदन किया कि श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 के अनुसार यदि प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो हमे कोई आपत्ती नही होगी।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी एकपक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सूना। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो, तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 604/136 पर जाने के लिए वर्तमान मे कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 अनुसार रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 के अनुसार ग्राम बालापुरा प0म0 मैणा स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 604/136 पर आने जाने के लिए ग्राम तुलसीपुरा से बीड का डेरा जाने वाले आम प्रचलित रस्ते से पश्चिम दिशा मे स्थित खसरा नम्बर 670/139 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट **क** नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

## रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः—

| खसरा नं0 | खातेदार | किस्म | लम्बाई | x चौडाई | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 670/139 | सिवायचक (सरकारी) | बंजड | 779 फीट | x 12 फीट | 9348 वर्गफीट |

**अर्थात 0.0868 हैक्टयर**

**कुल क्षेत्रफल = 9348 वर्गफीट या 0.0868 हैक्टयर**

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
**नैंनवा**

**राजस्थान सरकार** **NIC-BHUNAKSHA**

**खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतलिपिा)** **दनिांक : 19/06/2025 10:17:55 AM**

:बूँदी **तहसील : नैनवा** **भू. अ. नि. क्षेत्र :देई**

:मेणा **ग्राम : बालापुरा**

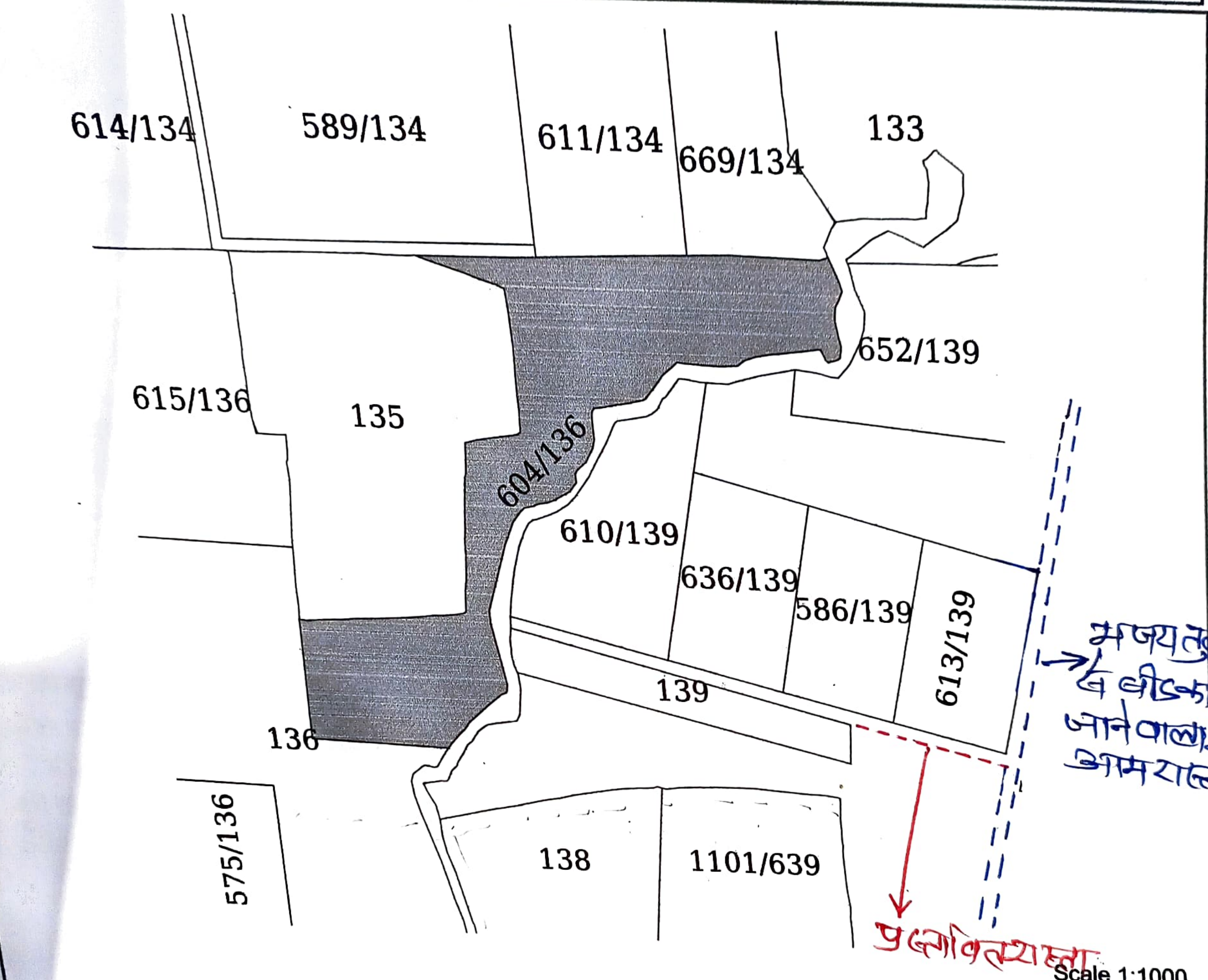


खसरा सख्या :604/136 क्षेत्रफल : 1.6180 Hectare खाता सख्या : 89पुराना खाता सख्या :129
भूमि किस्मि[क्षेत्रफल लगान ]: बंजड़ [ 1.6180, 6.00 ]
1.) गरिराज पुत्र सुवा हसि्सा- 1/4 जाति- मीणा सा. देह खातेदार अ.ववि.- नामा.170, 172 हसि्सा-1/4 ( पूरण खाता ) आईसीआईसीआई बैंक लमिटिड शाखा देई मु.वा.क.
2.) प्रकाश पुत्र सुवा हसि्सा- 1/4 जाति- मीणा सा. देह खातेदार अ.ववि.- नामा.170
3.) मायाराम पुत्र सुवा हसि्सा- 1/4 जाति- मीणा सा. देह खातेदार अ.ववि.- नामा.170, 193 हसि्सा-1/4 ( पूरण खाता ) आईसीआईसीआई बैंक लमिटिड शाखा देई मु.वा.क.
4.) हसंराज पुत्र सुवा हसि्सा- 1/4 जाति- मीणा सा. देह खातेदार अ.ववि.- नामा.170

पटवारी 18-6-2025

सक्षम अधकिारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रारथी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग कसिी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं कयिा जा सकता है।
३. प्रवष्टियों में संशोधन/सत्यापति प्रतलिपि हेतु सम्बंधति जलिा/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)